(19)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

टाईटल रिविजन वाद सं0– 01/1987–88

परबल माँझी एवं अन्य ..... आवेदक

बनाम

जासो कुमराईन एवं अन्य .....विपक्षी

।। आदेश ।।

27/05/2016 यह टाईटल रिविजन वाद सं0– 01/1987–88 परबल माँझी बनाम् जासो कुमराईन एवं अन्य के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के टाईटल अपील वाद सं0– 31/162 $\frac{1975}{1979}$ में पारित आदेश एवं डिग्री दिनांक 13.09.1987 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक का कहना है कि मौजा हेठ सितुआ, अंचल जामा के जमाबन्दी सं0 12 मो0 गुलाबी कुमराईन के नाम से गत सर्वे सेटेलमेंट में दर्ज है तथा जमाबन्दी सं0 26 आवेदक के दादा नुनु माँझी एवं मो0 गुलाबी कुमराईन के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। मो0 गुलाबी कुमराईन की मृत्यु नावल्द हो चुकी है। उनके मृत्यु के पश्चात उक्त जमींन का दखल आवेदक के पिता द्वारा किये जाने लगा किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी को उक्त जमीन की डिग्री दिया गया जो न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाय।

विपक्षी न्यायालय में उपस्थिति नहीं रहने के कारण उनके ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

अभिलेख में उपलब्ध निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सच्ची प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के पति मंगन कुमर चिगर कुमर के परपोता है, चिगर कुमर, वंधु कुमर के एकमात्र भाई थे एवं वंधु कुमर जमाबन्दी रैयत गुलाबी कुमराईन के ससुर थे। इस प्रकार विपक्षी जमाबन्दी रैयत गुलाबी कुमराईन के नजदीकी संबंध है जबकि आवेदनगण बहुत दूर के संबंध फौदी कुमराईन के भाई गुरूदयाल माँझी के पुत्र है। फौदी कुमराईन जमाबन्दी रैयत के सास थे।

इस प्रकार विपक्षी जमाबन्दी रैयत के नजदीकी वंशज होने के नाते निम्न न्यायालय में उनके पक्ष में डिग्री आदेश पारित किया गया जो सही प्रतीत होता है। अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Noted

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।